**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,**
**सतपुडा–भवन, भोपाल**
**मध्यप्रदेश**

**क्रमॉक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–05 / 2020 / 601** भोपाल, दिनांक /04/2020

प्रति,

डॉ ....................

संलग्न सूची अनुसार द्वारा –संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला......... ।

विषय :–अनुशासनात्मक कार्यवाही, कारण बताओ सूचना–पत्र – सूची अनुसार ।

संदर्भ :– 1. संचालनालय का आदेश क्रमांक 1–जी / विज्ञप्त / सेल–5 / 558–559 दिनांक 11.04.2020 ।

यह कि आप विशेष / चिकित्सा अधिकारी के पद पर संलग्न सूची में दर्शित पदस्थापना स्थल पर पदस्थ हैं।। संदर्भित आदेश क्रमांक 01 के द्वारा आपकी ड्युटी कोविड–19 के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर के अधीन कार्य संपादित किए जाने हेतु लगाई गई है।

इंदौर प्रस्थान हेतु शासकीय वाहन की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की गई है परंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर के अधीन कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। आपके उपरोक्त कृत्य से यह विदित होता है कि आप विभागीय आदेश के पालन करने के इच्छुक नहीं है ।

म0प्र0शासन गृह विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 57 / 2020 / दो / सौ–1 दिनांक 08.04.2020 द्वारा म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये जाने के दिनांक से उल्लेखित अत्याश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किए जाने का प्रतिरोध किया गया है। उक्त अधिनियम अंतर्गत स्वास्थ्य सेवायें भी सम्मिलित हैं। आपका उक्त कृत्य म0प्र0अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम में निहित प्रावधानों के विपरीत है।

साथ ही म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के खण्ड एक के उपनियम (i) (ii) (iii) अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 02 दिवस की समय–सीमा में अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर के अधीन प्रस्तुत करें एवं आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करें , अन्यथा आपके विरूद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 एवं म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) 1966 के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्क कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– सूची–06 ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(सपना एम0लोवंशी) 23/4
अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.
**भोपाल, दिनांक /04/2020**

**पृ.क्रमॉक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–05 / 2020 / 602**

**प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वल्लभ भवन भोपल,म0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी, म0प्र0शासन, वल्लभ भवन भोपल,म0प्र0।
4. समस्त संबंधित क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग, म.प्र.।
5. समस्त संबंधित कलेक्टर जिला ,म0प्र0।
6. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तत्काल कार्यवाही हेतु।
7. समस्त संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0–तत्काल कार्यवाही हेतु।
8. उप संचालक(शिकायत), स्थानीय कार्यालय, प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय,म0प्र0– कारण बताओ सूचना पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

23/4
अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

Scanned by CamScanner

संचालनालय का आदेश क्रमांक 1–जी/विज्ञप्त/सेल–5/558–559 दिनांक 11.04.2020, द्वारा मुख्य चिकि एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर के अधीन लगाई गई ड्यूटी संबंधी आदेश में सम्मिलित चिकित्सकों में से निम्नां चिकित्सकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है :–

| क्र. | आदेश में सरल क्रमांक | नाम एवं पदनाम | पदस्थापना स्थापन | द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला... |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01 | 2 | डॉ. अमित अग्रवाल<br>चिकित्सा अधिकारी | सिविल अस्पताल, रांझी, जबलपुर | जबलपुर |
| 02 | 9 | डॉ. शिवम दीक्षित<br>चिकित्सा अधिकारी | जिला चिकित्सालय, छतरपुर | छतरपुर |
| 03 | 18 | डॉ. मनोज खन्ना<br>चिकित्सा अधिकारी | जिला चिकित्सालय, बालाघाट | बालाघाट |
| 04 | 22 | डॉ. महेश कुमार दीक्षित<br>चिकित्सा अधिकारी | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव, छतरपुर | छतरपुर |
| 05 | 24 | डॉ. रविन्द्र कुमार नायर<br>चिकित्सा अधिकारी | सिविल अस्पताल, आरौन जिला गुना | गुना |
| 06 | 30 | डॉ. संजीव निरंजन<br>चिकित्सा अधिकारी | जिला चिकित्सालय, सीहोर | सीहोर |

23/4

अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

Scanned by CamScanner